राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1265/2011/बीकानेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रामचन्द्र अग्रवाल, बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/03/2014

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 52/आरवेट/बीकानेर/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.12.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 4.3.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2006–07 की कर निर्धारण प्रक्रिया में पाया कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि में 27,81,590/– की खरीद ग्रिट, ब्लास्ट, पत्थर की पट्टियां, बजरी, कोटा स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट आदि छूट प्राप्त व्यवहारियों से मानते हुए रूपये 16,55,241 + लाभांश पर 12.5 प्रतिशत से तथा रूपये 11,26,349 + लाभांश पर 4 प्रतिशत से कुल विवादित कर रूपये 2,51,959/– आरोपित कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 4.3.2009 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में रूपये 12,66,084/– की खरीद पर आउटपुट टैक्स रूपये 1,58,261/– को अविधिक बताते हुए अपास्त किया तथा शेष कर की पुष्टि की। कर अपास्तीकरण को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट प्राप्त व्यवहारियों से क्रय माल पर करारोपण उचित किया था, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने बिना कारण बताये रूपये 27,81,590/— में से रूपये 12,66,084/— पर कर अपास्त कर विधिक त्रुटि की है। इसलिए अपीलीय आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपील अपास्त किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने छूट प्राप्त व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर करारोपण किया था। अपीलीय अधिकारी ने माना कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)/एफडी/टैक्स/2005—86 दिनांक 11.9.2006 द्वारा प्रति ट्रक करमुक्ति शुल्क चुकाने पर व्यवहारी को करमुक्ति प्रदान की गई तथा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)/एफडी/टैक्स/2005—85 द्वारा ऐसे व्यवहारियों को वेट अनुसूची द्वितीय के तहत करमुक्त रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित वैट रूपये 93,698/— को यथावत रखा एवं वैट रूपये 1,58,261/— को अपास्त किया है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यवहारी द्वारा कितना माल राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के आधार पर क्रय किया है। ट्रेडिंग खाते में रूपये 27,81,590/— की खरीद घोषित की गई है, जिस पर नियमानुसार लाभांश जोड़कर वैट आरोपित किया जा सकता है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बाद आवश्यक जांच अपास्त किये गये करारोपण पर नये सिरे से पुनः विचार करे।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
28/02/14